मैसर्स टेलीस्टार ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड एवं अन्य

बनाम

विशेष प्रवर्तन निदेशक

(2013 की सिविल अपील संख्या 1306-1309)

(13 फ़रवरी 2013[न्यायमूर्तिगण टी.एस. ठाकुर और एम.वाई. इक़बाल)

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, *1973:*

धारा *8* और *14* - रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी मुद्रा में लेनदेन - एक भारतीय कंपनी ब्रिटेन में स्थित एक विदेशी कंपनी के साथ काम करती है और भारत के बाहर स्थित एक अन्य कंपनी के माध्यम से धन का लेनदेन करती है और कथित तौर पर एक कागजी कंपनी है - यह अभिनिरर्धारित किया गया था*:* वहाँ इस तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है कि संबंधित कंपनी भारत के अपीलकर्ताओं द्वारा नियंत्रित एक कागजी कंपनी थी - निर्णय प्राधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत प्रतीत होते हैं कि अपीलकर्ता उल्लंघन के दोषी थे एफईआरए के प्रावधानों में उनके खिलाफ उचित जुर्माना लगाने का आह्वान किया गया है -

अपीलीय न्यायाधिकरण ने पहले ही जुर्माना *50%* कम करके राहत दे दी है - उल्लंघनों की प्रकृति और ऐसा करने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा अपनाए गए साधनों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी तरह की नरमी

की कोई गुंजाइश नहीं है।फेरा के तहत न्यायनिर्णयन नियम:

नियम **3** - आदेश की घोषणा में देरी - यह माना गया: देरी अपने आप में किसी आदेश को रद्द करने का आधार नहीं बनेगी जो अन्यथा कानूनी रूप से वैध और उचित पाया जा सकता है - प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की सावधानीपूर्वक जांच इंगित करता है कि कोई अवैधता या अनियमितता प्रदर्शित नहीं की गई है - विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, **1973** -

धारा.**51** -प्रशासनिक व्यवस्था।प्रमाण:वापस लिए गए बयान - इसका साक्ष्यात्मक मूल्य - यह माना गया: न्यायनिर्णयन प्राधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों ने कानूनी स्थिति की सही ढंग से विवेचना की है और इसे मामले में लागू किया है ताकि यह माना जा सके कि बयान स्वैच्छिक थे और इसलिए, अपीलकर्ताओं पर बाध्यकारी थे।

साक्ष्य अधिनियम, **1872**:

धारा **139** - दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की जिरह - यह माना गया: लंदन में भारतीय उच्चायोग के दो अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजोंप जिनपर न्याय निर्णयन प्राधिकारी द्वारा भरोसा किया गया उनके निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी - इसलिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने अनुमति देने से इनकार कर दिया दस्तावेज़ पेश करने वाले गवाहों से की गई जिरह में साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांतों के आधार पर भी गलती नहीं पाई जा सकती।

अपीलकर्ता संख्या **1**-ट्रैवल एजेंसी जहाजों पर काम करने वाले चालक दल के सदस्यों के लिए टिकट बुक करने के व्यवसाय में लगी हुई थी। इस उद्देश्य के लिए, अपीलकर्ताओं ने यूके स्थित एक कंपनी **(**सीटीएल**)** के साथ एक व्यवस्था की थी, जो भारत में अपीलकर्ताओं को प्रीपेड टिकट सलाह **(**पीटीए**)** भेजेगी। इसके बाद अपीलकर्ता संबंधित एयरलाइन से टिकट सुरक्षित कर लेंगे। फिर टिकटों का पैसा ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत एक अन्य कंपनी **('**बी**'** लिमिटेड**)** के स्विस बैंक खाते में जमा किया जाएगा। **'**बी**'** लिमिटेड अपीलकर्ता कंपनी को देय कमीशन के रूप में टिकट की कीमत का **3%** प्राप्त करने के बाद टिकटों की कीमत के लिए धनराशि सीटीएल को हस्तांतरित कर देगी। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, **1973** की धारा **51** के तहत विचाराधीन कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि **'**बी**'** लिमिटेड केवल एक कागजी कंपनी थी और पूरी तरह से अपीलकर्ता कंपनी की होल्डिंग थी और इसे नियंत्रित किया जा रहा था। इसके द्वारा। निर्णायक प्राधिकारी ने, दिनांक **29.3.2001** के आदेश द्वारा, अपीलकर्ता-कंपनीको फेरा की धारा **8** और **14** के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी ठहराया, और धारा **14** के उल्लंघन के लिए **90,000/-** रुपये और फेरा की धारा **8 (1)** के उल्लंघन के लिए **8500,000/-** रु. जुर्माना लगाया शेष अपीलकर्ताओं पर प्रत्येक पर **20,00,000/-** रुपये का समेकित जुर्माना लगाया गया। विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपील में जुर्माना **50%** कम कर दिया। अपीलकर्ताओं की आगे की अपीलें उच्च न्यायालय

द्वारा प`रारम्भ में ही खारिज कर दी गई।

a अपीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा:

1.1. 'बी' लिमिटेड एक पेपर कंपनी है या नहीं और इसे अपीलकर्ताओं द्वारा नियंत्रित और संचालित किया गया था या नहीं, यह अनिवार्य रूप से जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर निर्धारित किया जाने वाला तथ्य का प्रश्न है। निर्णायक प्राधिकारी और न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए बयानों और उनके परिसरों से बरामद किए गए दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए उस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया है। निर्णय प्राधिकारी और न्यायाधिकरण के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत प्रतीत होते हैं कि अपीलकर्ता वास्तव में फेरा के प्रावधानों का उल्लंघन करने के दोषी थे, जिसमें उनके खिलाफ उचित जुर्माना लगाने का आह्वान किया गया था। इसलिए, इस तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है कि 'बी' लिमिटेड भारत के अपीलकर्ताओं द्वारा नियंत्रित एक कागजी कंपनी थी। **[**पैरा **12** और **15]** **[1021-**सी-डी; **1023-**जी-एच; **1024-**ए-बी**]**

1.2. आदेश की घोषणा में देरी स्वयं उस आदेश को रद्द करने का आधार नहीं बनेगी जो अन्यथा कानूनी रूप से वैध और उचित पाया जा सकता है। प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की सावधानीपूर्वक जांच से संकेत मिलता है कि कोई अवैधता या अनियमितता प्रदर्शित नहीं की गई है। इसके अलावा न्यायनिर्णयन

प्राधिकारी आदेश की घोषणा में भी हुई देरी को ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के आधार के रूप में आग्रह नहीं किया गया था।फेरा की धारा **51** औरफेरा के तहत न्यायनिर्णयन नियमों की धारा **30** की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्राधिकारी द्वारा सुनवाई समाप्त की गई थी। **[पैरा 6-7] [1015-बी-सी; 1016-बी-डी, एफ]**

राम बली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **2004 (1)** पूरक। एससीआर **195 = (2004) 10** एससीसी **598 -** पर निर्भर।

भगवानदास फतेहचंद दासवानी और अन्य बनाम एचपीए इंटरनेशनल और अन्य **2000 (1)** एससीआर **254 = 2000 (2)** एससीसी **13,** कन्हैयालाल और अन्य बनाम अनुपकुमार और अन्य **2002 (4)** सप्ल। एससीआर **366 = (2003) 1** एससीसी **430** और अनिल राय बनाम बिहार राज्य **2001 (1)** पूरक। एससीआर **298 = (2001) 7** एससीसी **318 -** उद्धृत।

1.3. जहां तक इस दलील का संबंध है कि अपीलकर्ताओं के वापस लिए गए बयानों पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा गलत तरीके से भरोसा किया गया था, यह कहना पर्याप्त है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने विशेष रूप से माना है कि बयान प्रकृति में स्वैच्छिक थे और बाद में बयान वापस लेना विचारपूर्वक उनके द्वारा किए गए उल्लंघनों के परिणामों से बचने के लिए था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी माना कि वापस लिए गए बयान बयान देने वाले पक्ष के खिलाफ निष्कर्ष दर्ज करने के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्णायक प्राधिकारी और अपीलीय

न्यायाधिकरण दोनों ने कानूनी स्थिति की सही सराहना की है और इसे मौजूदा मामले में लागू किया है, जबकि यह माना है कि बयान स्वैच्छिक थे और इसलिए, अपीलकर्ताओं पर बाध्यकारी थे। **[**पैरा **9,11] [1017-**ए-सी; **1019-**सी-डी**]**के.टीएमएस मोहम्मद बनाम भारत संघ **1992 (2)** एससीआर **879 = (1992) 3** एससीसी **178,** केआई पावुनी बनाम सहायक कलेक्टर **(**मुख्यालय**),** सेंट्रल एक्साइज कलेक्टरेट, कोचीन **1997 (1)** एससीआर **797 = (1997) 3** एससीसी **721 -** संदर्भित।विनोद सोलंकी बनाम भारत संघ एवं अन्य। **2008 (17)** एससीआर **1070 = (2008) 16** एससीसी **537 -** अनुपयुक्त ठहराया गया।

1.4. मौजूदा मामले में, निर्णायक प्राधिकरण ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के दो अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर भी भरोसा किया और अपीलकर्ताओं को उनका निरीक्षण करने की अनुमति दी गई। परस्तुत दस्तावेज जिन पर अपीलकर्ताओं को विधिवत विरोध अवसर परास हुआ था साक्ष्य अधिनियम की धारा **139,** के अन्तर्गत परस्तुतीकरण की प्रकृति में आता था जहां दस्तावेज़ पेश करने वाले गवाह से जिरह नहीं की जाती है। ऐसा मामला होने पर, दस्तावेज़ पेश करने वाले गवाहों से जिरह की अनुमति देने के लिए निर्णायक प्राधिकारी के इनकार को साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांतों पर भी गलत नहीं पाया जा सकता है। किसी भी दर पर, अपीलकर्ताओं को दस्तावेजों का खुलासा करना और उन्हें इसका खंडन करने और समझाने का अवसर देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पर्यास

अनुपालन था। ऐसा होने पर, अपीलकर्ताओं के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था और न ही हो सकता है। **[**पैरा **20] [1028-**ए-डी**]**

सुरजीत सिंह छाबड़ा बनाम भारत संघ और अन्य **1996 (7)** सप्ल। एससीआर **818 = (1997) 1** एससीसी **508;** मैसर्स कानूनगो एंड कंपनी बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर और अन्य। **(1973) 2** एससीसी **438-** संदर्भित, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नुस्ली नेविल वाडिया और अन्य **2007 (13)** एससीआर **598 = (2008) 3** एससीसी **279,** एस.सी. गिरोत्रा बनाम यूनाइटेड **1995** सप्ल। **(3)** एससीसी **212,** लक्ष्मण एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज **(2005) 10** एससीसी **634,** और मेसर्स बरेली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम द वर्कमेन और अन्य। **1972 (1)** एससीआर **241 = (1971) 2** एससीसी **617 -** उद्धृत।

1.5. ट्रिब्यूनल द्वारा अपीलकर्ताओं पर लगाए गए जुर्माने की मात्रा में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य करने वाला कोई कारण नहीं है। निर्णायक प्राधिकारी ने अधिक जुर्माना लगाया था। ट्रिब्यूनल पहले ही इसमें **50** फीसदी की कटौती कर राहत दे चुका है। उल्लंघनों की प्रकृति और ऐसा करने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा अपनाए गए साधनों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी तरह की नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। **[**पैरा **21] [1028** एफ**]**

केस कानून संदर्भ**:**

2000 (1) एससीआर **254** **para 5** का हवाला दिया गया

2002 (4) सप्ल. एससीआर **366** **para 5** का हवाला दिया गया

2001 (1) पूरक। एससीआर **298** पैरा **5** का हवाला दिया गया

2004 (1) पूरक। एससीआर **195** पैरा **6** पर भरोसा किया

1992 (2) एससीआर **879** पैरा **11** का हवाला दिया गया

1997 (1) एससीआर **797** पैरा **11** का हवाला दिया गया

2008 (17) एससीआर **1070** पैरा **11** को अनुपयुक्त माना गया

2007 (13) एससीआर **598** पैरा **16** का हवाला दिया गया

1995 (3) पूरक। एससीसी **212** पैरा **16** का हवाला दिया गया

2005 (10) एससीसी **634** पैरा**16** का हवाला दिया गया

1972 (1) एससीआर **241** पैरा**16** का हवाला दिया गया

1996 (7) सप्ल. एससीआर **818** **18** के लिए संदर्भित

1973 (2) एससीसी **438** **19** के लिए संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2013 की सिविल अपील संख्या 1306-1309

2008 की FERA अपील संख्या 8, 9, 10 और 11 में बॉम्बे के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक: 14.03.2008 से।

अपीलकर्ताओं के लिए श्याम दीवान, तरूण गुलाटी, नील हिल्ड्रेथ, श्रुति सभरवाल, निर्माण शर्मा, प्रवीण कुमार।

प्रतिवादी की ओर से पीपी मल्होत्रा, एएसजी, चेतन चावला, प्रियंका माथुर, अनिल कटियार, श्रीकांत एन टेरडाल।

कोर्ट का फैसला जस्टिस टीएस ठाकुर ने सुनाया।

1.अनुमति दी गई

2. ये अपीलें बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित 14 मार्च, 2008 के एक सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने 2008 कीफेरा

अपील संख्या 8 से 11 को आंशिक रूप से अनुमति दी है, जिसमें विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 28 नवंबर, 2007

को पारित आदेश सामान्य रूप से आक्षेपित किया गया था जिसमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 14 और 8(1) के उल्लंघन के लिए अपीलकर्ताओं पर लगाए गए जुर्माने को 50% कम कर दिया। तथ्यात्मक मैट्रिक्स जिसमें उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, मुंबई द्वारा पारित आदेश किया गया और ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज, नई दिल्ली द्वारा पारित अपीलीय आदेश को ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश और बंबई उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में वर्णित किया गया। इसलिए, तथ्यों को दोबारा दोहराना अनावश्यक है, सिवाय उस हद तक जब तक यह इन अपीलों के निपटान के लिए बिल्कुल आवश्यक हो।

3. अपीलकर्ता-टेलीस्टार ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड एक ट्रैवल एजेंसी चलाती है और जहाजों पर काम करने वाले चालक दल के सदस्यों के लिए टिकटों की बुकिंग में माहिर है। अधिकांश शिपिंग कंपनियाँ विदेश में स्थित हैं और उनके प्रतिनिधि मुंबई में स्थित हैं, जो अपीलकर्ता-कंपनी को निर्देश जारी करेंगे कि वे चालक दल के लिए बॉम्बे और भारत के अन्य स्थानों से विदेश में विशेष बंदरगाहों तक हवाई मार्ग की व्यवस्था करें। इसके बाद कंपनी विभिन्न गंतव्यों के लिए ऐसे निर्देशों के आधार पर टिकट जारी करने के लिए कदम उठाएगी। अपीलकर्ता का मामला यह है कि ब्रिटेन में ट्रैवल एजेंटों ने हाल ही में जहाजों में शामिल होने के लिए यात्रा करने वाले नाविकों/चालक दल के लिए सस्ते किराए की पेशकश शुरू कर दी है। कहा जाता है कि ऐसे कम किराए वाले टिकटों से लाभ पाने के लिए शिपिंग कंपनियों की इच्छा थी कि अपीलकर्ता द्वारा उनके लिए ऐसे कम किराए वाले टिकटों कि व्यवस्था की जाए। इसे संभव बनाने के लिए अपीलकर्ता-कंपनी ने ऐसे सस्ते नाविक टिकट प्राप्त करने के लिए ग्लासगो (यूके) में मेसर्स क्लाइड ट्रैवल्स लिमिटेड (सीटीएल) से संपर्क करने का दावा किया है। इस व्यवस्था के अनुसार, सीटीएल भारत में अपीलकर्ता को एक प्री-पेड टिकट सलाह (पीटीए) भेजेगा जिसके आधार पर अपीलकर्ता संबंधित एयरलाइन से टिकट पराप्त करेगा।टिकटों का पैसा ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत कंपनी बाउंटीफुल लिमिटेड के स्विस बैंक खाते में जमा किया जाएगा।बाउंटीफुल लिमिटेड, अपीलकर्ता-कंपनी को देय कमीशन के रूप में टिकट की कीमत का 3% प्राप्त करने के अलावा, प्राप्त धन से टिकटों की

कीमत के लिए सीटीएल को धनराशि हस्तांतरित करेगा।अपीलकर्ता- कंपनी का दावा है कि उपरोक्त टिकटों की खरीद की प्रक्रिया एक वाणिज्यिक व्यवस्था थी जो कानूनी रूप से स्वीकार्य थी और इसमें FERA का कोई उल्लंघन शामिल नहीं था। हालाँकि, प्रवर्तन निदेशालय, मुंबई ने ऐसा नहीं माना था।निदेशालय के अनुसार, बाउंटीफुल लिमिटेड एक कागजी कंपनी थी, जिसके पास स्विस बैंक खाता था, जिसे श्री शिरीष शाह नाम का एक व्यक्ति संचालित करता था, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जो एसएलपी(सी) 2008 का नंबर 15549 में अपीलकर्ता श्री राजेश देसाई के निर्देश पर लंदन से संचालित होता था। जो कोई और नहीं बल्कि टेलीस्टार ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री अरुण देसाई का बेटा था जो 2008 की एसएलपी (सी) संख्या 15547 में अपीलकर्ता था। निदेशालय का अगला मामला यह था कि फेरा एक्ट की धारा 37 के तहत की गई जांच के दौरान मेसर्स टेलीस्टार के कार्यालय और प्रबंध निदेशक के आवास परिसर से दस्तावेजी साक्ष्य जब्त किए गए थे। जिसमें स्पष्ट रूप से खुलासा किया कि बाउंटीफुल लिमिटेड पूरी तरह से अपीलकर्ता-टेलीस्टार प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग थी आैर इसका संचालन और वित्तीय प्रबंधन में पूरी तरह से श्री अरुण एन.देसाई और उनके दो बेटे श्री सुजीत ए.देसाई और श्री राजेश ए.देसाई, जो इन अपीलों में अपीलकर्ता हैं के पास था यह निदेशालय द्वारा की गई जांच, टेलीस्टार प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों के जांच के दौरान दर्ज किये गये बयानों के आधार पर था। जांच के दौरान दर्ज कि गयी और निदेशालय द्वारा एकत्र की गई अन्य सामग्री के आधार पर निदेशालय द्वारा

एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्हें कारण बताने के लिए कहा गया था कि फैरा एक्ट की धारा 51 के तहत नोटिस में बताए गए उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ न्यायिक कार्यवाही क्यों दर्ज नहीं की जानी चाहिए। कारण बताओ नोटिस के बाद एक परिशिष्ट दिया गया, जिसके द्वारा निदेशालय ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग से प्राप्त दिनांक 15 जनवरी, 1997 की एक रिपोर्ट और अपीलकर्ताओं को संलग्न और सूचित किए गए दस्तावेजों की संशोधित सूची पर भरोसा करने की मांग की।अपीलकर्ताओं ने अपने जवाब दाखिल किए जिसमें उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया कि बाउंटीफुल लिमिटेड एक कागजी कंपनी थी या अपीलकर्ताओं द्वारा इसे भारत से नियंत्रित किया जा रहा था।23 सितंबर, 1997 को अपने पत्र द्वारा अपीलकर्ताओं ने सीएलडी के श्री लिविंगस्टोन और लंदन में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से जिरह करने की मांग की, जिन्होंने उनसे मुलाकात की थी।उन्होंने श्रीमति अनीता चोटरानी और श्री दीपक राऊत से भी जिरह करने की मांग की, जिनकी गवाही पर प्रवर्तन निदेशालय ने अपने मामले के समर्थन में भरोसा जताया। निर्णायक प्राधिकरण ने अंततः 29 मार्च, 2001 को एक आदेश पारित कर अपीलकर्ताओं को फैरा एक्ट की धारा 8 और 14 के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी ठहराया, क्योंकि अपीलकर्ताओं ने विभिन्न व्यक्तियों से उनके द्वारा बुक किए गए टिकटों के लिए 846116.14 अमेरिकी डॉलर और 156943.16 जीबी पाउंड का भुगतान प्राप्त किया था। जो जिनेवा में खाता संख्या 10975 में जमा किए गए थे और जिसे वे फेरा एक्ट कि धारा 14 के तहत आवश्यक आरबीआई की

सामान्य अनुमति के बिना मालिक या धारक बनने के तीन महीने के भीतर भारत में विदेशी मुद्रा में एक अधिकृत डीलर को सौंपने में विफल रहे। न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने अपीलकर्ताओं को नवंबर, 1994 से जुलाई, 1995 की अवधि के दौरान मेसर्स बाउंटीफुल लिमिटेड के उक्त जिनेवा खाता संख्या 10975 से विभिन्न व्यक्तियों को RBI की पूर्व सामान्य या विशेष अनुमति के बिना जीबी पाउंड 138671.40 और यूएस $ 672131.85 की विदेशी मुद्रा हस्तांतरित करने का दोषी ठहराया है। जिससे FERA, 1973 की धारा 8(1) का उल्लंघन हुआ। उस आधार पर निर्णायक प्राधिकरण ने धारा 14 के उल्लंघन के लिए 90,00,000/- रुपये का तथा धारा 8(1) के उल्लंघन पर 85,00,000 रूपए का जुर्माना टेलीस्टार कम्पनी पर लगाया। । प्राधिकरण ने शेष अपीलकर्ताओं श्री अरुण एन.देसाई, प्रबंध निदेशक, श्री राजेश देसाई और श्री सुजीत देसाई, उनके पुत्रों में से प्रत्येक पर 20,00,000/- रुपये का समेकित जुर्माना लगाया।

4. निर्णय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में अपील की।जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, ट्रिब्यूनल ने उक्त अपीलों को अनुमति दी, लेकिन केवल आंशिक रूप से और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने को 50% तक कम करने की सीमित सीमा तक। ट्रिब्यूनल ने, रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री के पुनर्मूल्यांकन के बाद, निर्णायक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि की कि अपीलकर्ताओं ने वास्तव में फेरा

1973 की धारा 8 और 14 का उल्लंघन किया है,अपीलकर्ताओं द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष की अपील भी विफल रही और 14 मार्च, 2008 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा तुरंत खारिज कर दी गई। इसलिए वर्तमान अपील।

5. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित होते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने अपील के समर्थन में प्रस्तुतियाँ दीं।सबसे पहले, उन्होंने तर्क दिया कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय और आदेश एकतरफा था, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।उस सबमिशन को विस्तार से बताते हुए श्री दीवान ने तर्क दिया कि चूंकि मामले प अंतिम बहस होने के लगभग साढ़े तीन साल बाद संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्णय आदेश पारित किया गया था, इसलिए फेरा

की धारा 51 के तहत अपीलकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता थी पूणर् नहीं हुइ।यह कथन किया गया है कि अपीलकर्ताओं को निर्णय आदेश की देरी से घोषणा के कारण पूर्वाग्रह से ग्रस्त किया गया था क्योंकि उनके पास उपलब्ध दस्तावेज मामले की सुनवाई के बाद उक्त प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखे जा सके थे।उन्होंने आगे तर्क दिया कि न्यायनिर्णयन नियमों के नियम 3 में व्यक्तिगत सुनवाई का प्रावधान है, जो निस्संदेह उस तारीख को प्रदान की गई थी जिस दिन मामले पर अंतिम रूप से न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष बहस हुई थी, लेकिन सुनाई का अधिकार पुनः दिया जाना चाहिए था क्योंकि प्राधिकारी द्वारा विलंब से आदेश पारित किया गया था। अपने निवेदन के समथर्न में श्री दीवान द्वारा भगवानदास फतेहचंद दासवानी और अन्य बनाम एचपीए इंटरनेशनल और अन्य (2000) 2 एससीसी 13, कन्हैयालाल एवं अन्य बनाम अनुपकुमार और अन्य।(2003) 1 एससीसी 430 तथा अनिल राय बनाम बिहार राज्य

(2001) 7 एससीसी 318 के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया।

6. प्रतिवादी की ओर से, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री पीपी मल्होत्रा द्वारा तर्क दिया गया कि निर्णय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश फेरा के नियमों के तहत धारा 30 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 51 के प्रावधानों के साथ पूरी तरह से अनुपालनकरता था ।किसी भी तर्क से इसे एक पक्षीय आदेश नहीं माना जा सकता।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि निर्णय आदेश की घोषणा में देरी ही आदेश को रद्द करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, यदि वह अन्यथा कानूनी रूप से वैध पाया जाता है। श्री मल्होत्र के अनुसार, देरी के कारण अपीलकर्ताओं पर किसी भी तरह से कोई पक्षपात नहीं हुआ थ, जिन्होंने राम बाली बनाम यूपी राज्य(2004) 10 एससीसी 598 में इस न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कथन किया कि घोषणा में देरी आदेश को कानून की दृष्टि से खराब घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। श्री दीवान के अनुसार, इस न्यायालय ने उन न्यायालयों और प्राधिकारियों द्वारा एेसे आदेशों और मामलों की घोषणा में देरी करने की प्रथा की निंदा की है, जिनकी सुनवाई की जा चुकी है और ऐसी घोषणाओं के लिए आरक्षित किया गया है।इसमें कोई दो राय नहीं है कि मामले की सुनवाई करने वाले किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी को उचित समय सीमा के भीतर आदेश सुनाना चाहिए, खासकर तब जब अत्यधिक देरी के कारण कोई गलतफहमी उत्पन्न हुई हो, जिसने

वादकारियों के मन मे, खासकर उस पक्ष के मन में अनावश्यक आशंकाएं पैदा कर दी हों जो एेसी देरीी के कारण मामला हार गया हो।हम श्री दीवान द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ केवल अपनी सम्मानजनक सहमति व्यक्त कर सकते है, जिसमें दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और न्यायालयों और अधिकारियों द्वारा आदेश की घोषणा के लिए उचित समय सीमा निर्धारित की गई है।फिर भी, यह सवाल बना हुआ है कि क्या देरी को अपने आप में उस आदेश को रद्द करने का आधार बनाना चाहिए जो अन्यथा कानूनी रूप से वैध और उचित पाया जा सकता है।उस प्रश्न पर हमारा उत्तर नकारात्मक है। इस न्यायालय के निणर्य राम बली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2004) 10 एससीसी 598 एक ऐसा मामला है जहां न्यायालय ने एक समान तर्क को खारिज कर दिया और घोषित किया कि देरी अपने आप में एक आधार नहीं थी जो अन्यथा विशेष रूप से संबंधित मामले से निपटती थी।न्यायालय अत्यधिक देरी के बाद सुनाए गए आदेश की सावधानीपूर्वक और बारीकी से जांच करने की आवश्यकता पर अधिक से अधिक सावधानी बरती है, लेकिन अगर ऐसी जांच के बाद भी आदेश किसी भी तरह से गलत नहीं पाया जाता है तो वह उसे रद्द करने से इनकार कर सकता है।

7. हमने मौजूदा मामले में प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के फैसले की सावधानीपूर्वक जांच के लिए मामले को काफी विस्तार से सुना है ताकि यह जांचा जा सके कि क्या यह किसी अवैधता या तात्विक अनियमितता से ग्रस्त है जिससे अपीलकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारा विचार है कि ऐसी कोई अवैधता या अनियमितता प्रदर्शित नहीं की गई है।इसके अलावा निर्णायक प्राधिकारी द्वारा विलंब से सुनाए गए आदेश को ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के आधार के रूप में नहीं रखा गया था, तथा इस पहलू पर चुप रहे हैं।पूर्वाग्रह के प्रश्न पर भी हमें श्री दीवान का तर्क वास्तविक से अधिक काल्पनिक लगता है।पूर्वाग्रह के संबंध में तर्क इस दलील पर आधारित है कि अपीलकर्ता कुछ दस्तावेज़ पेश नहीं कर सके जो उन्होंने अब इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए रखे हैं।आगे यह भी स्वीकार किया गया है कि इन दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति के लिए उनके द्वारा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था, भले ही वे ऐसा कर सकते थे यदि उन्हें वास्तव में ऐसे दस्तावेजों पर भरोसा करने की आवश्यकता होती।हमारे विचार में, श्री मल्होत्र का यह तर्क उचित था कि निर्णयन प्राधिकारी द्वारा फेरा के धारा 51और न्याय निर्णयन नियमों के नियम 3 की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुनवाई संपन्न की गई थी।इसलिए, श्री दीवान द्वारा आग्रह किया गया विवाद का पहला अंग विफल हो जाता है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

8. इसके बाद श्री दीवान ने तर्क दिया कि निर्णायक प्राधिकारी ने अपीलकर्ताओं के मुकरे हुए बयानों पर भरोसा करते हुए कहा था कि बाउंटीफुल लिमिटेड एक कागजी कंपनी थी और इसका वित्तीय नियंत्रण उनके हाथों में था,इस युक्ति द्वारा विदेशी मुद् की प्राप्ति व विनियोग फेरा के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन था।

9. निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं ने कारण बताओ नोटिस और उसके परिशिष्ट के जवाब में विशेष रूप से यह तर्क दिया था कि उनके द्वारा दिए गए बयान स्वैच्छिक नहीं थे और इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।उस विवाद पर न केवल न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा ध्यान दिया गया, बल्कि विशेष रूप से हल किया गया और यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि बयान प्रकृति में स्वैच्छिक था और बाद में मुकरना उनके द्वारा किए गए उल्लंघनों के परिणामों से बचने के लिए विचारपूर्वक किया गया था। हम इस बात से काफी संतुष्ट हैं कि निर्णय लेने वाला प्राधिकारी उन बयानों की स्वैच्छिक प्रकृति की जांच करने की आवश्यकता से अवगत था जिन पर वह भरोसा कर रहा था।इसने तदनुसार उस पहलू की जांच की है और यह मानने के लिए ठोस कारण दिए हैं कि बयान वास्तव में स्वैच्छिक थे। निर्णायक प्राधिकारी ने कहा है:

"मामले के रिकॉर्ड को देखने पर, मुझे पता चला कि नोटिस परास्कर्ता श्री अरुण एन.देसाई के दिनांक 24.8.95, 25.8.95 और 6.2.96 के बयान और राजेश एन.देसाई और सुजीत देसाई, नोटिस प्रास्कर्ता संख्या 2 और 3, के दिनांक 24/25.8.95 के बयान हैं सभी बयान संबंधित नोटिस प्रास्कर्ता द्वारा उनकी अपनी लिखावट में और उनकी ज्ञात भाषा में दिए गए थे।श्री अरुण देसाई ने अपने वक्तव्य में ट्रैवल एजेंसी मेसर्स टेलीस्टार ट्रैवल्स की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया, जो मुख्य रूप से विदेशी जहाजों में शामिल होने वाले चालक दल के सदस्यों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकटों की बुकिंग करती है। जैसे विदेश में एजेंटों के साथ समझौता करना, विदेशी शिपिंग कंपनियों के माध्यम से उनके द्वारा बुक किए गए टिकटों पर प्रास कमीशन/लाभ के भुगतान का तरीका और यह भी कि उनका कमीशन ,ड्राफ्ट या टेलीग्राफिक ट्रांसफर द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा, चर्चगेट शाखा में उनके खाता संख्या 82886 में कैसे भेजा जा रहा था। इस प्रकार मैंने पाया कि नोटिस में दिए गये बयानों में ऐसे आंतरिक और सूक्ष्म विवरण शामिल हैं, जो उनके व्यक्तिगत ज्ञान से दिए गए हो सकते हैं और उन अधिकारियों द्वारा गढ़े नहीं जा सकते जिन्होंने उक्त बयान दर्ज किए हैं।इसके अलावा, नोटिसी नंबर 1 के

बयान की पुष्टि अन्य दो नोटिसी श्री राजेश और सुजीत देसाई के प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष दिए गए उनके संबंधित बयानों से की गई है। इसके अलावा भी रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रश्नगत बयानों की स्वैच्छिकता पर थोड़ा सा भी संदेह पैदा कर सके।इसलिए, मेरा विचार है कि प्रश्नगत बयान संबंधित तीनों नोटिसी द्वारा स्वेच्छा से नोटिसी के व्यवसाय/आवासीय परिसर से जब्त किए गए ढेर सारे दस्तावेजों के स्पष्टीकरण में दिए गए थे और इसमें वे विवरण शामिल थे जो वे बताना चाहते थे।बाद में नोटिसी श्री राजेश देसाई और सुजीत देसाई द्वारा दायर की गई इन्कारी केवल कानून के चंगुल से बचने के लिए विचारपूर्वक प्रस्तुत कि गयी है और मैं उन्हें पूरी तरह से खारिज करता हूं।

10. फेरा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील में भी अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए बयानों की स्वैच्छिक प्रकृति के बारे में उनकी ओर से आग्रह किया गया था लेकिन ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया:

"यह तर्क दिया गया है कि श्री अरुण देसाई, राजेश देसाई और सुजीत देसाई द्वारा दिए गए बयान स्वैच्छिक नहीं थे, जो प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा लिखे गये थे और धमकियों और दबाव के तहत प्राप्त किए गए थे, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया था और उनका समर्थन करने के लिए कोई पुष्टि करने वाली सामग्री नहीं थी। लेकिन हमें इन तर्कों में कोई दम नहीं दिखता क्योंकि अपीलकर्ताओं ने अपने बयानों में मेसर्स टेलस्टार ट्रेवल्स की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया था। जो विदेशी जहाजों में शामिल होने वाले चालक दल के सदस्यों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकटों की बुकिंग में लगा हुआ था, जैसे विदेश में एजेंटों के साथ एक समझौते में प्रवेश करना, भुगतान प्राप्त करने का तरीका और ओवर शिपिंग कम्पनी के माध्यम से उनके द्वारा बुक किए गए टिकटों पर अर्जित कमीशन और उनका कमीशन बैंकिंग चैनल के माध्यम से कैसे भेजा गया।इसके अलावा, वे उनकी अपनी लिखावट में और उन्हें ज्ञात भाषा में लिखे गए थे।बयानों में ऐसे आंतरिक और सूक्ष्म विवरण थे जो उनके व्यक्तिगत ज्ञान से दिए जा सकते थे और विभाग के अधिकारियों द्वारा गढ़े नहीं गए थे।"

11. ट्रिब्यूनल ने केटीएमएस मोहम्मद बनाम भारत संघ 1992) 3 एससीसी 178, केआई पावुनी बनाम सहायक कलेक्टर (मुख्यालय), केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टरेट, कोचीन (1997) 3 एससीसी 721 में इस न्यायालय के फैसले को आधार मानते हुए माना कि मुकरे हुए बयान पक्षकार के खिलाफ निष्कर्ष दर्ज करने के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत कर सकते हैं। उस दृष्टिकोण में इस बात का कोई विरोध नहीं है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों ने कानूनी स्थिति की सही ढंग से विवेचना की है और इसे मौजूदा मामले में लागू किया है, तथा यह माना है कि बयान स्वैच्छिक थे और इसलिए, अपीलकर्ताओं पर बाध्यकारी थे। इस न्यायालय के निर्णय विनोद सोलंकी बनाम भारत संघ एवं अन्य (2008) 16 एससीसी 537 जिस पर श्री दीवान ने भरोसा किया है, अपीलकर्ताओं को कोई मदद नहीं देता है। निर्णय इस कथन के लिए एक प्राधिकार है कि अपराध करने के आरोपी व्यक्ति से यह साबित करने की उम्मीद नहीं की जाती है कि प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा प्रलोभन, धमकी या वादे के माध्यम से उससे स्वीकारोक्ति प्राप्त की गई थी। प्राधिकारी/अभियोजन पक्ष पर यह दिखाने का दायित्व है कि जिस बयान पर भरोसा किया जाना है वह स्वैच्छिक था और न्यायालय को बयान की स्वैच्छिकता की जांच करते समय उपस्थित परिस्थितियों और अन्य सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है। निर्णय यह नहीं मानता है कि जब कोई बयान प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आधारित होता है और स्वैच्छिक भी पाया जाता है, तो

उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे वापस ले लिया गया था। हम केटीएमएस मोहम्मद व अन्य में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित पैराग्राफ में बताई गई कानूनी स्थिति का उल्लेख कर सकते हैं।

"34. हमारा मानना है कि इस कानूनी पहलू पर सभी निर्णयों को दोहराना और सुनाना आवश्यक नहीं है। लेकिन यह कहना पर्याप्त है कि इस न्यायालय के सभी निर्णयों का मूल इस आशय का है कि संबंधित अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कस्टम अधिकारियों या प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष दिए गए किसी भी बयान की स्वैच्छिक प्रकृति एक अनिवार्य शर्त है। और यदि ऐसा प्रतीत होता है कि कथन किसी प्रलोभन, धमकी, जबरदस्ती या किसी अनुचित साधन से प्राप्त किया गया है तो उस कथन को संक्षिप्त रूप से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। साथ ही, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल इसलिए कि कोई बयान वापस ले लिया गया है, इसे अनैच्छिक या गैरकानूनी रूप से प्राप्त किया गया नहीं कहा जा सकता है। यह केवल बयान देने वाले का काम है जिसने प्रलोभन, धमकी, वादे आदि का आरोप लगाया है कि यह स्थापित किया जाए कि ऐसे अनुचित साधन अपनाए गए हैं। हालाँकि, भले ही बयान देने वाला, बयान दर्ज करने वाले अधिकारी के खिलाफ प्रलोभन, धमकी आदि के अपने आरोपों को स्थापित करने में विफल रहता है, बयान कर्ता के दोषी बयान पर कार्रवाई करते समय प्राधिकरण अपने दायित्वों से पूरी तरह मुक्त नहीं होता है। प्राधिकारी को बाद

में वापसी के लिए अपना दिमाग लगाते हुए यह मान लेना चाहिए कि दोषी कथन को जबरन नहीं लिया गया था। इस प्रकार इसका तात्पर्य यह है कि प्राधिकारी या किसी न्यायालय को स्वैच्छिक बयान के रूप में दोषारोपण संबंधी बयान पर कार्रवाई करने का इरादा रखते हुए अपना दिमाग मुकरने पर लगाना चाहिए और उसे लिखित रूप में अस्वीकार करना चाहिए। कानून के इस सिद्धांत पर ही, इस न्यायालय ने कई फैसलों में कहा है कि किसी ऐसे बंदी के दोषी बयान के आधार पर हिरासत आदेश पारित करने में भी, जिसने

फेरा या सीमा शुल्क अधिनियम आदि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी बाद में मुकरने पर विचार करना चाहिए और दोषी बयान को स्वीकार करने से पहले अपनी राय दर्ज करनी चाहिए, अन्यथा आदेश ख़राब हो जाएगा..." (जोर दिया गया)

12. यह हमें श्री दीवान के इस कथन पर लाता है कि एक ओर अपीलकर्ता कंपनी और दूसरी ओर क्लाइड ट्रैवल्स लिमिटेड और बाउंटीफुल लिमिटेड के बीच जो व्यवस्था हुई, वह वाणिज्यिक प्रकृति की थी, जिसे निर्णायक प्राधिकारी और ट्रिब्यूनल इसके सही और सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने में विफल रहा था। श्री दीवान के अनुसार, निर्णायक प्राधिकारी और न्यायाधिकरण के पास यह मानने का कोई वास्तविक आधार नहीं था कि बाउंटीफुल एक कागजी कंपनी थी और इसे भारत से देसाई द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। श्री दीवान ने हमें इस पहलू पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी और न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों को उलटने के लिए मनाने का एक कठिन प्रयास किया। हमें ऐसा करने में अपनी असमर्थता पर खेद है। बाउंटीफुल लिमिटेड एक कागजी कंपनी है या नहीं और इसे अपीलकर्ताओं द्वारा नियंत्रित और संचालित किया गया था या नहीं, यह अनिवार्य रूप से जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर निर्धारित किया जाने वाला तथ्य का प्रश्न है। निर्णायक प्राधिकारी और न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए बयानों और उनके परिसरों से बरामद किए गए दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए उस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया है। इन सभी दस्तावेज़ों और आपत्तिजनक परिस्थितियों पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित खण्ड में चर्चा की गई है:

"...रिकॉर्डों के अवलोकन से पता चलता है कि मेसर्स टेलस्टार ट्रैवल्स के कार्यालय परिसर और उक्त कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अरुण देसाई के आवास से भारतीय मुद्राओं के साथ विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे। तीनों नोटिस प्राप्तकर्ताओं श्री अरुण देसाई और उनके दो बेटों राजेश और सुजीत देसाई ने उक्त जब्त दस्तावेजों के स्पष्टीकरण में प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष अपने बयान दिए हैं। यह भी देखा गया है कि दस्तावेजों और मुद्राओं की जब्ती पर किसी भी समय नोटिसी द्वारा विवाद नहीं किया गया था। उक्त श्री अरुण एन.देसाई के पुत्र और आक्षेपित एससीएन में नोटिस प्राप्तकर्ताओं में से एक, श्री राजेश देसाई ने 'जी' के रूप में चिह्नित दस्तावेजों के समूह के पृष्ठ संख्या 18 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि यह श्री सिरीश शाह का लंदन से संदेश था कि बाउंटीफुल के खाते में 14.11.94 को 33884 अमेरिकी डॉलर जमा कर दिए गए हैं। इसी प्रकार 'I' चिह्नित फ़ाइल के पृष्ठ संख्या 30 और 34 में क्लाइड ट्रेवल्स लिमिटेड ग्लासगो के खाते में कुछ राशियाँ स्थानांतरित करने के निर्देश हैं। जब श्री राजेश देसाई से सवाल किया गया कि बाउंटीफुल लिमिटेड के खाते के संबंध में ऐसे निर्देश कैसे जारी किए जा सकते हैं, तो उन्होंने अपने दिनांक 24.8.95 के बयान में स्पष्ट रूप से बताया कि जिनेवा में बाउंटीफुल का खाता नंबर 10975 एक पेपर कंपनी का खाता था जो नाविक एयरलाइन टिकटों के संबंध में भुगतान प्राप्त करने और भुगतान करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए उनके पास रखा गया था, जो मेसर्स क्लाइड ट्रैवल्स, ग्लासगो से बहुत सस्ती दरों पर प्राप्त किए गए

थे, जिसके साथ मेसर्स टेलस्टार का अगस्त 1994 से गठजोड़ था; श्री सिरीश शाह लंदन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जो मेसर्स क्लाइड ट्रेवल्स और टेलस्टार दोनों को जानते थे, कि उक्त श्री सिरीश शाह का उपयोग उनके द्वारा स्विट्जरलैंड में बाउंटीफुल लिमिटेड के खाते के संचालन के लिए बैंक को निर्देश देने के लिए किया गया था, कि बाउंटीफुल के उक्त खाते की अंतिम शेष राशि 98761.70 अमेरिकी डॉलर थी। श्री राजेश देसाई ने मेसर्स टेलस्टार ट्रेवल्स पी. लिमिटेड के कार्यालय से जब्त की गई 'ई' चिह्नित फ़ाइल के पृष्ठ संख्या 111 से 125 के बारे में आगे बताया। जिसमें अपने दिनांक 24.8.95 के बयान में इसे बैंके डी फाइनेंसमेंट, जिनेवा के साथ बाउंटीफुल लिमिटेड के खाते का विवरण स्वीकार किया। जिसमें विभिन्न विदेशी शिपिंग कंपनियों द्वारा अपने चालक दल के लिए खरीदे गए पीटीए टिकटों के बदले भेजी गई राशि का क्रेडिट दिखाया गया था; कि उक्त क्रेडिट उनकी विदेशी शिपिंग कंपनियों के बैंक खातों से हस्तांतरित राशि काे दिखातें हैं यह डेबिट बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ग्लासगो को हस्तांतरित राशि का प्रतिनिधित्व करता है जो ग्लासगो में मैसर्स क्लाइड ट्रेवल्स लिमिटेड का खाता है, कि वह वही व्यक्ति था जिसने पीएसजे अलेक्जेंडर एंड कंपनी, लंदन के चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री सिरीश शाह को मैसर्स बाउंटीफुल के जिनेवा स्थित खाते से धन हस्तांतरित करने के निर्देश दिए थे। जिसमें मेसर्स क्लाइड ट्रैवल्स लिमिटेड, ग्लासगो को धन का हस्तांतरण शामिल है, जो पीटीए टिकटों के हस्तांतरण का एक बड़ा हिस्सा है।

13. बाउंटीफुल लिमिटेड द्वारा मैसर्स ओशन एयर लिमिटेड और मेसर्स स्कॉट ट्रैवल लिमिटेड, हांगकांग को जारी किए गए चालानों के संबंध में निर्णायक प्राधिकरण ने कहा कि अपीलकर्ता टेलीस्टार प्रा. लिमिटेड ने निर्देश जारी किए थे कि देय राशि मेसर्स बाउंटीफुल लिमिटेड के खाते में जमा की जाए। निर्णायक प्राधिकरण ने देखा:

"...मुझे रिकॉर्ड से बाउंटीफुल लिमिटेड के कुछ चालान भी मिले हैं। जो मैसर्स ओसियन एयर लिमिटेड और मैसर्स स्कॉट ट्रैवल लिमिटेड, हांगकांग पर किये गये थे। जिसका निर्माण मेसर्स डेनक्लाऊ मरीन सर्विसेज, मुंबई, की मिस अनीता चोटरानी ट्रैवल को-ऑर्डिनेटर द्वारा किया गया था। जिसमें जिनेवा में मेसर्स बाउंटीफुल लिमिटेड के खाता संख्या *10975* में बिल की राशि जमा करने के लिए मेसर्स टेलस्टार के निर्देश शामिल हैं। टेलस्टार द्वारा दिए गए उक्त मिस अनीता चोटरानी द्वारा प्रस्तुत बिलों की जांच में यह पाया गया कि टेलस्टार द्वारा बुक किए गए एयर इंडिया के कई हवाई टिकटों को भी इन बाउंटीफुल चालान में बिल किया गया था और इन एयर इंडिया टिकटों का भुगतान जिनेवा खाते को निर्देशित किया गया है इसके अलावा बिल पर बाउंटीफुल लिमिटेड की ओर से कथित तौर पर बिलिंग का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति के न तो कोई हस्ताक्षर हैं और न ही उनकी पहचान।

14. निर्णायक प्राधिकारी ने अपीलकर्ता टेलीस्टार द्वारा बाउंटीफुल को मैसर्स युनाईटेड शिप मैनेजमेंट होंग कांग के एक जहाज एमवी रिज़कुन ट्रेडर, की मरम्मत के लिए मेसर्स अर्णव शिपिंग कंपनी को 4,74,033/- रुपये की राशि भेजने के लिए जारी किए गए निर्देशों जैसी आपत्तिजनक परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया और उन पर भरोसा किया। इसी प्रकार बाउंटीफुल अकाउंट से मुस्ताक अली नजूमदेन को किया गया 12500/- अमेरिकी डॉलर का भुगतान भी प्रमाणित है जो अपीलकर्ता-श्री राजेश देसाई के निर्देशों पर किया गया था, जिसे अपीलकर्ता ने टिकटिंग व्यवसाय देने के लिए विदेशी शिपिंग कंपनी को भुगतान की गई रिश्वत बताया था।

15. यह कहना पर्याप्त है कि निर्णायक प्राधिकारी और न्यायाधिकरण के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हो सकते हैं कि अपीलकर्ता वास्तव में फेरा के प्रावधानों का उल्लंघन करने के दोषी थे, जिसमें उनके खिलाफ उचित जुर्माना लगाया गया था गया था। अपीलकर्ताओं का कथन यह नहीं था कि निष्कर्ष किसी सबूत द्वारा समर्थित नहीं थे और न ही उनका यह कथन था कि अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए बयान किसी भी स्वतंत्र दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य द्वारा अपुष्ट थे। इसलिए, इन परिस्थितियों में, हमें इस सवाल पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता कि क्या बाउंटीफुल भारत के अपीलकर्ताओं द्वारा नियंत्रित एक कागजी कंपनी थी या नहीं।

16. यह हमें आक्षेपित आदेशों के विरुद्ध अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के तीसरे चरण में लाता है। श्री दीवान द्वारा यह तर्क दिया गया था कि बाउंटीफुल लिमिटेड एक कागजी कंपनी थी और अपीलकर्ताओं द्वारा श्री सिरीश शाह के माध्यम से भारत से नियंत्रित और संचालित की जा रही थी, निर्णायक प्राधिकरण ने मिस अनीता चोटरानी और श्री दीपक राऊत, के बयानों पर भरोसा किया था और लंदन में भारतीय उच्चायोग से एक पत्र प्राप्त हुआ। श्री दीवान के अनुसार, ये बयान और रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य थे क्योंकि इन गवाहों से जिरह करने के अवसर के लिए अपीलकर्ता के अनुरोध को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ, जिसका पालन किया जाना चाहिए।साक्ष्य अधिनियम के नियमों को इसके आवेदन से बाहर रखा गया था। चूँकि ऐसे साक्ष्य जो अस्वीकार्य थे, उन पर भरोसा किया गया था, निर्णय प्राधिकारी और न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दुषित थे। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नुस्ली नेविल वाडिया और अन्य *(2008) 3* एससीसी *279,* एससी गिरोत्रा बनाम युनाइटेड *1995* सप्लिमेंट। *(3)* एससीसी *212,* लक्ष्मण एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर *(2005) 10* एससीसी *634,* और मेसर्स बरेली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम द वर्कमेन व अन्य *(1971) 2* एससीसी *617*। के इस न्यायालय के निर्णयों का श्री दिवान द्वारा हवाला दिया गया।

17. दूसरी ओर, श्री मल्होत्रा ने तर्क दिया कि जिरह का अधिकार साक्ष्य अधिनियम के तहत एक पक्ष को उपलब्ध था , जिसका FERA के तहत न्यायनिर्णयन कार्यवाही में लागू नहीं होता है। उन्होंने इस संबंध में अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए न्यायनिर्णयन नियमों का हवाला दिया। उन्होंने सुरजीत सिंह छाबड़ा बनाम भारत संघ और अन्य *(1997) 1* एससीसी *508* में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा जताया। व कहा कि यह तर्क देने के लिए कि कुछ परिस्थितियों में जिरह अनावश्यक थी, जैसे कि जहां अपीलकर्ताओं ने संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपने बयानों में सभी भौतिक तथ्यों को स्वीकार किया था।

18. हमारी राय में, विद्वान वकील की बात में भी कोई दम नहीं है। फेरा की धारा 79 के तहत बनाए गए न्यायनिर्णयन नियमों के नियम 3 से यह स्पष्ट है कि प्रक्रिया के नियम न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होते हैं। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी स्थिति में, उस पक्ष के खिलाफ जारी किए जाने वाले बयान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए जिरह की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव है। यह केवल तभी होता है जब कोई बयान जिरह की आग से गुजरता है कि कोई न्यायालय या वैधानिक प्राधिकरण इसके संभावित मूल्य को निर्धारित और मूल्यांकन करने में सक्षम हो सकता है। ऐसे बयान का उपयोग करना जिसका परीक्षण नहीं किया गया है, एेसे साक्ष्य का उपयोग करना माना जा सकता है, जिस पर संबंधित पक्ष के पास सवाल उठाने का कोई अवसर नहीं है। इस तरह का इनकार किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में निहित निष्पक्ष सुनवाई और अवसर के नियम का उल्लंघन हो सकता है, जिससे नागरिक का अधिकार प्रभावित हो सकता है। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या पक्षकार को जिरह करने की अनुमति देने में विफलता के परिणामस्वरूप कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है जिससे आदेशों को उलटने और मामले की नए सिरे से जांच करने की मांग की जा सके। उस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, इसी तरह की याचिका सुरजीत सिंह छाबड़ा बनाम भारत संघ और अन्य *(1997) 1* एससीसी *508* में उठाई गई थी। जिसमें पहले इस अदालत ने ज्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि इस

अदालत ने महसूस किया कि गवाह की जिरह से उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आएगा। न्यायालय ने कहा:

"3. यह सच है कि याचिकाकर्ता ने कबूल किया था कि वह सोना खरीदकर लाया था। उसने स्वीकार किया कि उसने सोना खरीदा और उसे कैरा में बदल लिया। ऐसे में अथॉरिटी की इजाजत के बिना सोना लाना सीमा शुल्क अधिनियम और फेरा का भी उल्लंघन है। जब याचिकाकर्ता उन गवाहों की जिरह की मांग करता है जिन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता से वसूली की गई थी, तो आवश्यक रूप से उस स्थान के संबंध में गवाहों की जिरह के लिए एक अवसर दिया जाना आवश्यक है जहां से वसूली की गई थी। चूंकि विवाद आभूषणों की जब्ती से संबंधित है, चाहे कन्वेयर बेल्ट पर या ग्रीन चैनल पर, शायद गवाहों को बुलाने की आवश्यकता थी। लेकिन उसके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के मद्देनजर, यह उसे बांधता है और इसलिए, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उसे गवाहों से जिरह करने का अवसर देने में विफलता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता छह दिनों के भीतर कबूलनामे से मुकर गया था। इसलिए, प्राधिकारी द्वारा अपराध के सबूत पर निर्णय लेने से पहले वह पंच गवाहों से जिरह करने का हकदार है। हमें इस विवाद में कोई दम नजर नहीं आता. सीमा शुल्क अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं. स्वीकारोक्ति, हालांकि वापस ले ली गई, एक स्वीकारोक्ति है और याचिकाकर्ता को बाध्य करती है। इसलिए याचिकाकर्ता को परीक्षण और जिरह के लिए पंच गवाहों को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

19. हम मैसर्स कानूनगो एंड कंपनी बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स एंड अन्य *(1973) 2* एससीसी *438* मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं। उस मामले में अपीलकर्ता कलकत्ता में घड़ियों के डीलर, आयातक और मरम्मतकर्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा था। अपीलकर्ता के परिसर में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा की गई तलाशी के दौरान, विदेशी निर्मित 280 कलाई घड़ियाँ जब्त की गईं। जब अपीलकर्ताओं से इन कलाई घड़ियों की जब्ती के खिलाफ कारण बताने के लिए कहा गया, तो अपीलकर्ताओं ने यह साबित करने के लिए वाउचर प्रस्तुत किए कि घड़ियाँ उनके द्वारा 1956 और 1957 के बीच वैध रूप से खरीदी गई थीं। हालाँकि, कुछ पूछताछ पर, सीमा शुल्क अधिकारियों ने पाया कि प्रस्तुत वाउचर झूठे थे और काल्पनिक थे। इन पूछताछों के नतीजों से अपीलकर्ता को अवगत कराया गया, जिसके बाद उन्हें निर्णय अधिकारी, सीमा शुल्क के अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया। यह हवाला देते हुए कि अपीलकर्ता ने वैध आयात के अपने दावे को साबित करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई में कोई प्रयास नहीं किया, अतिरिक्त कलेक्टर ने धारा 167(8), समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, सपठित आयात व निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3(2) के तहत घड़ियों को जब्त करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश को रद्द करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर स्वीकार कर लिया था कि सीमा शुल्क अधिकारियों पर सबूत का भार उनके द्वारा निर्वहन नहीं किया गया था।

उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपील पर इस आदेश को यह कहते हुए पलट दिया कि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उनकी पूछताछ के परिणामों की जानकारी दिए जाने के बाद वैध आयात को साबित करने का भार फर्म पर आ गया था। इस न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलकर्ता की ओर से दिए गए चार तर्कों में से एक यह था कि निर्णय लेने वाले अधिकारी ने उन व्यक्तियों से जिनसे सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पूछताछ की गई थी जिरह करने का अवसर देने से इनकार करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है । सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया:

"12. हम पहले प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के प्रश्न से निपट सकते हैं। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार, हमारी राय में, ऐसा कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। *21* अगस्त, *1961* को जारी कारण बताओ नोटिस में, वह सारी सामग्री दी गई थी जिस पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने भरोसा किया था और फिर अपीलकर्ता को उचित स्पष्टीकरण देना था। अब अपीलकर्ता की शिकायत यह है कि जिन लोगों से अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर पूछताछ की गई है, उन्हें उनसे जिरह करने के लिए पेश किया जाना चाहिए था। हमारी राय में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में यह आवश्यक नहीं है कि इस तरह के मामलों में जिन व्यक्तियों ने जानकारी दी है, उनसे अपीलकर्ता की उपस्थिति में पूछताछ की जानी चाहिए या सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष पहले दिए गए बयानों पर उनसे जिरह करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तदनुसार हम मानते हैं कि अपीलकर्ता के तीसरे तर्क में कोई बल नहीं है।"

20. मामले की बात करें तो निर्णायक प्राधिकारी ने मुख्य रूप से अपीलकर्ताओं के बयानों और उनके परिसर की तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों पर भरोसा किया है। लेकिन, इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ताओं के व्यावसायिक परिसर से जो कुछ भी जब्त किया गया था, उसके अलावा निर्णायक प्राधिकरण ने मिस अनीता चोटरानी और श्री राउत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर भी भरोसा किया। यह माना जाता है कि ये दस्तावेज़ अपीलकर्ताओं को बताए गए थे जिन्हें इनका निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। अपीलकर्ताओं को विधिवत सामना किए गए दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 के संदर्भ में परस्तुतीकरण की प्रकृति में था, जहां दस्तावेजों काे प्रस्तुत करने वाले गवाह को जिरह के अधीन नहीं किया जाता है। ऐसा मामला होने पर, न्यायिक प्राधिकारी द्वारा दस्तावेज़ पेश करने वाले गवाहों से जिरह की अनुमति देने से इनकार करना साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांतों पर भी गलत नहीं पाया जा सकता है। किसी भी कीमत पर, अपीलकर्ताओं को दस्तावेजों को दिखाना और उन्हें इसका खंडन करने और समझाने का अवसर देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पर्याप्त अनुपालन था। ऐसा होने पर, अपीलकर्ताओं के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था और न ही हो सकता है और न ही अपीलकर्ताओं द्वारा हमारे समक्ष या निचली अदालतों के समक्ष कोई प्रमाण दिया गया था। अपीलकर्ताओं के मामले का तीसरा भाग भी उस दृष्टि से विफल रहता है और खारिज कर दिया जाता है।

21. श्री दीवान ने अंततः तर्क दिया कि लगाया गया जुर्माना उल्लंघन की प्रकृति के अनुरूप नहीं था और यह न्यायालय कम से कम उस सीमा तक हस्तक्षेप कर सकता है। हमें ट्रिब्यूनल द्वारा अपीलकर्ताओं पर लगाए गए जुर्माने की मात्रा में हस्तक्षेप करने के लिए कोई और कारण नहीं दिखता है। निर्णय प्राधिकारी ने, जैसा कि पहले देखा गया था, अधिक जुर्माना लगाया था। ट्रिब्यूनल पहले ही इसमें 50 फीसदी की कटौती कर राहत दे चुका है।उल्लंघनों की प्रकृति और ऐसा करने के लिए प्रतिवादी द्वारा अपनाए गए तरीकों को ध्यान में रखते हुए, हमें किसी भी तरह की नरमी की कोई गुंजाइश नहीं दिखती।

22. परिणामस्वरूप, ये अपीलें विफल हो जाती हैं और प्रत्येक अपील 50,000/- रुपये की लागत के साथ खारिज कर दी जाती हैं।लागत दो महीने के भीतर एससीबीए वकील कल्याण कोष में जमा की जानी है।

अपील खारीज

अविनाश चांगल

राजस्थान न्यायिक सेवा

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **अविनाश चांगल** (आर.जे.एस. डी.जे. कैडर) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है औरकिसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक औरआधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।